

विनियम

REGULATIONS

65 वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2017

65th NATIONAL FILM AWARDS 2017

भाग अ

सामान्य निर्देश

Part A

**GENERAL
INFORMATION**

सामान्य सूचना

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:

1. इन विनियमों को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम कहा जाएगा तथा ये तत्काल प्रवृत्त होंगे।

उद्देश्य :

2. पुरस्कार का उद्देश्य उत्कृष्ट सौंदर्य बोध, तकनीक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता, की एसी फ़िल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना है जो सिनेमाई रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों की समझ एवं विवेचन में योगदान तथा साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य पुस्तकों, लेखों, समीक्षाओं आदि के प्रकाशन के माध्यम से कला रूप में सिनेमा के अध्ययन तथा विवेचन की ओर इस कला के रूप संबंधी सूचना के प्रसार और समालोचनात्मक विवेचन को भी प्रोत्साहन देना है।

परिभाषा :

3. इन विनियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, (क) बोर्ड से केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड अभिप्रेत है।

ख) निदेशालय से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फ़िल्म समारोह निदेशालय अभिप्रेत है।

(ग) पुरस्कार से राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार अभिप्रेत है।

घ) निर्माता से वैयक्तिक निर्माता, निर्माण कंपनी, सरकारी विभाग या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान शामिल हैं।

(ङ) अधिकार धारक से निगेटिव का स्वामी, जो किसी फ़िल्म विशेष के लिए प्रयोगशाला में चलचित्र की फ़िल्मों के प्रिंटों के लिए ऑर्डर देने के लिए अधिकृत है।

आयोजक

4. यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से फ़िल्म समारोह निदेशालय या समय - समय पर अधिसूचित इस प्रकार के अन्य संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा।

वर्ग :

पुरस्कारों में निम्नलिखित वर्ग होंगे :

1. फ़ीचर फ़िल्म और
2. गैर- फ़ीचर फ़िल्म और
3. सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन

6. भारतीय सिनेमा के संवर्धन और विकास के लिए पुरस्कार

6.1 फ़ीचर फ़िल्मों (अनुसूची I), .गैर- फ़ीचर फ़िल्मों (अनुसूची II) और सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन हेतु पुरस्कारों के अतिरिक्त, भारत सरकार अपने विवेक से भारतीय सिनेमा के संवर्धन, विकास और विशिष्ट योगदान के लिए किसी फ़िल्मी व्यक्तित्व को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नामक एक पुरस्कार देगी जिसमें एक स्वर्ण कमल, 10,00,000/- (दस लाख रुपये) नकद तथा एक शॉल शामिल होगा |

6.2 भारत सरकार अपने विवेक से फ़िल्म अनुकूल राज्य नामक पुरस्कार उस राज्य सरकार को देगी जिसने राज्य में सिनेमा के संवर्धन और विकास के लिए विशिष्ट योगदान दिया है तथा भारतीय एवं विदेशी फ़िल्मकारों को शूटिंग संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं | इस पुरस्कार में एक रजत कमल तथा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा |

पात्रता :

7.1 केवल वे ही व्यक्ति पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे जिनका नाम फ़िल्मों के नामोल्लेखों में है और सामान्यतः भारत में रह रहे हैं | फ़िल्म भारत में निर्मित होनी चाहिए | यदि फ़िल्म के सह-निर्माता के रूप में कोई विदेशी व्यक्ति शामिल है, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :-

- 1) कम से कम एक सह - निर्माता भारतीय होना चाहिए |
- 2) भारतीय सह - निर्माता भारत में पंजीकृत होना चाहिए अथवा भारत का नागरिक होना चाहिए |
- 3) आवेदक के आधार कार्ड की स्व - प्रमाणित प्रति होनी चाहिए (अनिवार्य) |
- 4) फ़िल्म का शीर्षक भारतीय फ़िल्म शीर्षक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए |

5) फ़िल्म का निर्देशक भारतीय होना चाहिए | उसके कलाकार तथा तकनीशियन मुख्यतः भारतीय होने चाहिए |

6) फ़िल्म का निगेटिव भारत के अधियाकर धारक के पास होना चाहिए ताकि उसके प्रिंट लिए जा सकें |

7) आवेदनकर्ता को यह अधिकार होना चाहिए की वह भारत तथा विदेश में होने वाले फ़िल्म समारोहों में भारतीय प्रिंट के रूप में फ़िल्म की भागीदारी के लिए स्वीकृति दे सके तथा फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित भारतीय सिनेमा समारोहों में उसे दिखाया जा सके |

7.2 विदेशी मूल के फ़िल्म कलाकार एवं तकनीशियनों को भी पुरस्कार के योग्य माना जा सकता है |

7.3 फ़िल्म 1 जनवरी 2017 और 31 दिसम्बर 2017 के बीच केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए |

7.4 किसी फ़िल्म के फ़ीचर या गैर - फ़ीचर होने के प्रश्न पर निर्णय सेन्सर प्रमाण पत्र में दी गई श्रेणी के आधार पर किया जाएगा |

7.5 **फ़िल्मों में अंग्रेजी उप - शीर्षक होना आवश्यक है** 35 एमएम प्रिंट/ डीसीपी/ ब्लू-रे/ डी वी कैम के कवर पर निम्नलिखित अवश्य अंकित करें |

|

- फ़िल्म का शीर्षक
- निर्देशक का पूरा नाम
- निर्माता का पूरा नाम
- फ़िल्म की अवधि
- फ़िल्म का आस्पेक्ट रेशियो
- फ़िल्म की मूल भाषा

7.6 केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणपत्र की तिथि

7.7 सभी प्रविष्टियाँ केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित संस्करण में होनी चाहिए (फ़ीचर एवं गैर - फ़ीचर के प्रविष्टि पत्र का अनुलग्नक 1 देखें)।

7.8 किसी भी व्यक्ति, निर्माता, निर्माता एकक, सरकारी संगठन तथा कंपनियों से अधिकतम 7 प्रविष्टियाँ ही स्वीकार की जाएगी ।

8 निम्नलिखित प्रविष्टि के लिए पात्र नहीं होंगे :-

अ) डब किया हुआ/ संशोधित/पुनर्रचित/कोई भी भारतीय फ़िल्म का पुनः संपादित रूपांतर जो राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार हेतु पहले से ही प्रस्तुत किया हो, वह पात्र नहीं होगा । सभी फ़िल्में उनके मौलिक रूपांतर/भाषा में प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

ख) उन कलाकारों की फ़िल्में पुरस्कार के लिए अनुसूची । की क्रम संख्या (x) से (xiv) तक विचारणीय नहीं होंगी जिनके संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किया गया है ।

9. कॉपीराइट अधिनियम,1957 (समय-समय पर संशोधन के अनुसार) के प्रावधानों का उल्लंघन, यदि सिद्ध हुआ, तो फ़िल्म की प्रविष्टि रद्द कर दी जाएगी अथवा फ़िल्म को किसी भी पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया जाएगा ।

10. ऐसे आवेदक पुरस्कार की प्रतियोगिता से स्वतः ही तीन वर्ष के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो निर्णायक मण्डल के किसी सदस्य पर पत्राचार, फोन, ई-मेल इत्यादि द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभाव/सिफ़ारिश कराते हुए पाये जाते हैं । इस अयोग्यता के कारण उस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार हेतु प्रतियोगिता में शामिल होने से तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा । इस संबंध में सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

11. आयोजकों के स्टाफ के सदस्य किसी भी श्रेणी के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रविष्टि प्राप्ति की अंतिम तारीख

12. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च, 2018 होगी और आवश्यक सामग्री के साथ प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड प्रति जमा कराने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2018 होगी । यदि 5 मार्च 2018 को सरकारी अवकाश घोषित किया जाता है तो अगला कार्य दिवस अंतिम तिथि के रूप में माना जाएगा । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को आवेदक को कोई भी निदेश दिए बिना अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

(टिप्पणी : आवेदक के द्वारा जमा की हुई फॉर्म की दोनों प्रतियाँ (ऑनलाइन कॉपी तथा हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी) एक समान होनी चाहिए तथा प्रतियाँ जमा कराए जाने के बाद कोई भी बदलाव मान्य नहीं होगा) |

फ़ीचर फिल्मों के लिए रुपये 11,800 / - जीएसटी सहित (18% GST) का गैर वापसी योग्य प्रवेश शुल्क और रु. 5900 जीएसटी सहित (18% GST) गैर-फ़ीचर फिल्मों के लिए - ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म जमा करने के समय ऑनलाइन प्रेषित होना चाहिए।

फ़िल्म प्रविष्टि प्रक्रिया

13. निर्माता वह है, जो एक फ़िल्म का निर्माण करता है और साथ ही फ़िल्म के कॉपीराइट और आपूर्ति/ डिजिटल प्रारूप की प्राधिकृत आपूर्ति/ निर्णायक मण्डल के लिए प्रयोगशाला से सिनेमैटोग्राफिक प्रति या चयनित फ़िल्मों के फ़िल्म समारोह में अन्य स्क्रीनिंग आदि कर सकते हैं और वह एक व्यक्ति को लगा सकते हैं या एक कंपनी या एक संस्थान या अन्य कोई हस्ती और एक सह-निर्माता को भी सम्मिलित कर सकते हैं |

13.1 प्रारूप

फ़ीचर फ़िल्म : 35 एमएम या चोड़े गेज़ (सेल्यूलाइड) में प्रमाणित फ़िल्मों को सिर्फ़ इन्ही प्रारूप में भेजा जाना चाहिए | हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फ़िल्मों को 35 एम एम प्रिंट/ डी.सी.पी ; अनक्रिपटिड, डी सी आई कंपलाइंट - जे2के, इंटरोप या एसएमपीटीआई डीसीपी - नोट : जे2के इंटरोप डीसीपीकेवल 24 एफपीएस / ब्लू-रे (रिजन फ्री पीएएल) या सेल्यूलाइड प्रारूप में भेजा जा सकता है | कृप्या डी वी डी की दो प्रतियाँ भी संलग्न करें |

13.2 गैर - फ़ीचर फ़िल्म : 35 एमएम या चोड़े गेज़ (सेल्यूलाइड) में प्रमाणित फ़िल्मों को सिर्फ़ इन्ही प्रारूप में भेजा जाना चाहिए | हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फ़िल्मों को 35 एम एम प्रिंट/ डी.सी.पी ; अनक्रिपटिड, डी सी आई कंपलाइंट - जे2के, इंटरोप या एसएमपीटीआई डीसीपी - नोट : जे2के इंटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस / ब्लू-रे (रिजन फ्री पीएएल) या सेल्यूलाइड प्रारूप में भेजा जा सकता है | कृप्या डी वी डी की दो प्रतियाँ भी संलग्न करें |

14. निर्माता/निर्माण कम्पनी को अपनी प्रविष्टि, प्रविष्टि ऑनलाइन जमा करनी चाहिए | फॉर्म हर दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए और उसके साथ खंड 3.3 के भाग ब (फ़ीचर फ़िल्म) एवं खंड 3 के भाग

सी (गैर - फ़ीचर फिल्म) में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ एवं सहायक सामग्री भेजी जानी चाहिए अन्यथा निदेशालय द्वारा प्रविष्टि रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी क : निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम फिल्म में दिए गए क्रेडिट शीर्षक के समान ही हों। इस संबंध में निर्माता एक प्रमाण-पत्र भी जमा करें। फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा इस शपथपत्र के जमा करने के उपरान्त इस मामले में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा (अनुलग्नक। देखें)।

टिप्पणी ख : प्रविष्टि प्रपत्र के कॉलम 14 में सूचना देते समय निर्माता/निर्माण कम्पनी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें डाक का पूरा पता ई-मेल का पता, टेलीफोन न., मोबाइल न., फ़ैक्स संख्या (यदि कोई हो), दी गई है।

15. सही नाम-पत्र के साथ निम्नलिखित सामग्री तुरन्त भेजी जाए :-

(क) पोस्टर (थिएटर आकार के)

(ख) एक तीन मिनट का प्रोमो/ट्रेलर

(ग) अभिनय करने वाले कलाकारों तथा फिल्म में काम करने वाले अन्य तकनीशियनों इत्यादि के 05 उच्च रेज्यूल्शन तस्वीरें (उनके सम्पर्क विवरण के साथ)

घ) फिल्म की 20 तस्वीरें (600 डीपीआई या 15-20 एमबी) भी ई-मेल करें।

(ङ) (प) ब्लूरे/डीसीपी/डीवी कैम

(पप) दो डीवीडी

(च) संवाद/अंग्रेजी उपशीर्षक सूची टाइम कोड सहित।

(छ) 65 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 के लिए चयनित सर्वोत्तम फ़ीचर फिल्म और सर्वोत्तम गैर-फ़ीचर फिल्म भारतीय पैनोरामा 2018 में भी शामिल की जायेगी।

17. निर्णायक मंडल या उनके कोई भी खण्ड के लिए इस फिल्म के स्क्रीनिंग करने में मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है भारत और विदेश के समारोहों में भारतीय सिनेमा की विशेषता के प्रोत्साहन के तौर पर फिल्म के गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक प्रदर्शन/आयोजित विशेष प्रदर्शनों/फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा समर्थन किए गए कोई भी प्रारूप (प्रिन्ट और डिजिटल) साथ ही फिल्म स्टिल्स/पोस्टर्स और ट्रेइलर्स/विजुअल क्लिप्स के उपयोग से फिल्म का प्रदर्शन आदि। मैं/हम यह आश्वासन भी देता हूं कि

मेरे/हमारे निश्चित किए कोई अधिकार के बावजूद भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति/संगठन द्वारा फिल्म की स्क्रीनिंग किसी भी क्षेत्र में वाणिज्यिक /गैर वाणिज्यिक आधार पर करने के लिए निदेशालय का यह अनापत्ति वैध रहेगी ।

ख. अतिरिक्त फिल्म समारोह निदेशालय का यह अधिकार रहता है कि फिल्म का उपशीर्षक कोई भी भारतीय/विदेशी भाषा में अपने ही व्यय में करें और अधिकार धारक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के बाद फिल्म का स्क्रिप्ट (ईएसटी) तुरंत समर्पित करें।

ग.निर्णायक समिति के स्क्रीनिंग के लिए समर्पित सभी पुरस्कार विजेता फिल्मों की प्रतियां/डीसीपी (अनक्रिप्टिड) भारत में/विदेश में गैर वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए फिल्म समारोह निदेशालय के अधिकार में रखा जाए।

16. डीसीपी / ब्लू-रे / डीवीडी और अन्य सामग्री को भेजने के लिए मूल्य, प्रतियोगी द्वारा बनाई गई सामग्री निदेशालय को भेजी जाए । सभी सामग्री कूरियर द्वारा भेजी जानी चाहिए। कृपया प्रिंट बॉक्स में प्रविष्टि फॉर्म न डाले/भेजे ।

17. निदेशालय पर यह अधिकार निहित है कि कोई भी प्रविष्टि को अस्वीकृत करें।

(क) यदि प्रिंट अथवा डीसीपी/ ब्लूरे (फीचर फिल्म के लिए वीडियो/डिजीटल प्रारूप के मामले में), प्रिंट अथवा डीसीपी/ब्लूरे/डीवी कैम (गैर-फीचर के लिए वीडियो डिजीटल प्रारूप के मामले में) निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता। प्रिंट की वापसी का व्यय निदेशालय द्वारा वहन किया जाएगा

(ख) आवेदक द्वारा समर्पित कोई भी घोषणपत्र अवास्तविक या गलत पाया जाएगा तो फिल्म समारोह निदेशालय का यह अधिकार है कि प्रविष्टि को अस्वीकृत करें या अंतिम परिणाम/घोषणा के बाद फिल्म का चयन रद्द करें। ऐसे मामलों में जहां गलत या अवास्तविक घोषणा पत्र पाया जाता है, आवेदक को निदेशालय द्वारा आयोजित कोई भी गतिविधियों में भाग लेने से 3 वर्ष की अवधि के लिए बाधित किया जाएगा।

17.1: निदेशालय के पास सुरक्षित अधिकार :

(अ) निदेशालय अपनी जिम्मेदारी पर फिल्मों के उपशीर्षक किसी भी भारतीय/विदेशी भाषा में करने का अधिकार है। और सही धारक भारत और विदेश में गैर वाणिज्यिक जांच के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के तुरंत बाद फिल्म की स्क्रिप्ट (ईएसटी) प्रस्तुत करेगा।

बी) जुरी को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत सभी पुरस्कार विजेता फिल्म प्रिंट / डीसीपी (अनएन्क्रिप्टेड) / ब्ल्यू रे, भारत और विदेश में गैर-लाभकारी प्रदर्शनी के लिए निदेशालय द्वारा प्रतिधारित रखा जाएगा।

भाषा

पुरस्कार समारोह

18.1 यह अत्यावश्यक है कि पुरस्कार विजेता स्वयं पुरस्कार प्राप्त करने आए। यदि किसी कारणवश पुरस्कार विजेता स्वयं पुरस्कार प्राप्त करने नहीं आ सकते तो पुरस्कार, पुरस्कार विजेता के किसी प्रतिनिधि को प्रदान नहीं किया जाएगा। बल्कि पुरस्कार विजेता को बाद में भेजा जाएगा।

18.2 यदि एक फिल्म के एक से अधिक निर्माता हैं तो निम्नलिखित नियम लागू होंगे:-

(अ) केवल एक पदक प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की राशि को सभी निर्माताओं में बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा और सभी निर्माताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ब) केवल एक निर्माता को ही स्वयं तथा अन्य निर्माताओं का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मंच पर आमंत्रित किया जाएगा।

(स) फिल्म की प्रविष्टि भेजते समय निर्माता को, पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए निर्माता के नाम की घोषणा करनी होगी।

19. इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों तथा इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

20. पुरस्कार के लिए प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे ये विनियम स्वीकार हैं।

21. फिल्म प्रिन्ट के अतिरिक्त प्रविष्टि प्रपत्र, फिल्म प्रिन्ट, अन्य सामग्री और सभी पत्राचार निम्नलिखित को संबोधित किया जाना चाहिए:-

उप-निदेशक

65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2017

फिल्म समारोह निदेशालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय,

सिरी फोर्ट सभागार परिसर

अगस्त कांति मार्ग

नई दिल्ली - 110049
दूरभाष नं. - 011-26499352, 26499356
मोबाइल नं. - 09560695184
टेलीफैक्स नं. - 011-26497214
ई-मेल: 65nfa.dff@gmail.com
वेबसाइट: www.dff.nic.in

विवाचन

22. निर्माता तथा निदेशालय के बीच किसी भी मामले पर उत्पन्न विवाद को सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों को मान्य होगा। विवाचन मंत्रालय के निर्णय पर लागू नहीं होगा, यह फिल्म समारोह निदेशालय और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के आवेदक दोनों पर बाध्यकारी होगा।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निर्णायक मंडल

सामान्य

23.1 किसी व्यक्ति को निर्णायक मंडल की सदस्यता से तभी अयोग्य माना जाएगा जब कि स्वयं उसकी फिल्म की प्रविष्टि हुई है। उसके निकट संबंधी की फिल्म प्रविष्टि होने के मामले में निर्णायक मंडल के सदस्य को फिल्म/पुस्तक/लेखन के पूर्वावलोकन/निर्णय में सम्मिलित न होने का अधिकार होगा।

23.2 निर्णायक मंडल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अनुसूची ट में दिए गए प्रपत्र में लिखित घोषणा करनी होगी।

23.3 निर्णायक मंडलों के सदस्य (केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मंडलों के सदस्यों सहित), विभिन्न वर्गों के पुरस्कारों के निर्णय संबंधी चर्चा/सिफारिश को गोपनीय बनाए रखेंगे। निर्णायक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करने पर उन्हें जीवन भर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार/भारतीय पैनोरमा/भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के निर्णायक मंडल का सदस्य बनाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

23.4 निर्णायक मंडल पुरस्कार विजेताओं का चयन करेंगे और अपनी अनुशंसा निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे। निर्णायक मंडल को यह अनुशंसा देने का अधिकार होगा कि किसी श्रेणी विशेष में पुरस्कार नहीं दिया जाए, यदि उन्हें लगे कि उस श्रेणी के लिए प्रविष्टियां अपेक्षित स्तर की नहीं हैं।

23.5 जूरी अनुशंसा करेगी, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और मंत्रालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और उनके फैसले के संबंध में अपील या पत्राचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23.6 निदेशालय का निदेशक और/या उसका मनोनीत व्यक्ति निर्णायक मंडलों की बैठकों में उपस्थित रहेगा ताकि वे/वह जानकारी/स्पष्टीकरण दे सके जो निर्णायक मंडल मांगे लेकिन वह बैठकों में भाग नहीं ले सकेगा।

चयन प्रक्रिया

फ़ीचर फिल्म

24.1 विनियम की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के पुरस्कारों का चयन करने के लिए द्विस्तरीय प्रणाली (यथा-क्षेत्रीय निर्णायक मंडल तथा केन्द्रीय निर्णायक मंडल) होगी। भारत सरकार के अनुमोदन पर फिल्म समारोह निदेशालय विधिवत रूप से केन्द्रीय निर्णायक मंडल तथा पांच क्षेत्रीय निर्णायक मंडलों का गठन करेगी। जिसमें सिनेमा, अन्य कलाओं तथा मानविकी के क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

(अ) क्षेत्रीय निर्णायक मंडल

(प) पांच क्षेत्रीय निर्णायक मंडल निम्नानुसार होंगे:-

उत्तर: हिन्दी, पंजाबी, डोगरी, भोजपुरी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी तथा केन्द्रीय भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए एक पैनल।

पश्चिम: मराठी, गुजराती तथा कोंकणी भाषाओं की फिल्मों के लिए एक पैनल।

दक्षिण I: तमिल, मलयालम तथा तत्संबंधी क्षेत्रीय बोलियों की फिल्मों के लिए एक पैनल।

दक्षिण II: कन्नड़, तेलुगु तथा तत्संबंधी क्षेत्रीय बोलियों की भाषाओं की फिल्मों के लिए एक पैनल।

पूर्व: बंगाली, असमिया, उडिया, मणीपुरी और पूर्वोत्तर में बोली जाने वाली बोलियों की फिल्मों का एक पैनल।

(ii) प्रत्येक क्षेत्रीय पैनल में एक अध्यक्ष एवं एक सदस्य (दोनों को क्षेत्र के बाहर से चयनित किया जाएगा) तथा तीन अन्य सदस्य क्षेत्र में रहने वाले होंगे।

(iii) प्रत्येक क्षेत्रीय पैनल लगभग 30 प्रतिशत फिल्मों की सिफारिश करेगा।

(iv) क्षेत्रीय निर्णायक मंडल को पुरस्कार की सिफारिश करने का अधिकार होगा जिसके लिए फिल्म विशेष पर विचार किया जाए।

(v) निर्णायक मंडल के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले फिल्म को पूर्णतया देख लें।

(vi) क्षेत्रीय निर्णायक मंडल दिल्ली में फिल्मों का पूर्वावलोकन करेंगे।

(ब) केन्द्रीय निर्णायक मंडल

(I) केन्द्रीय निर्णायक मंडल में एक अध्यक्ष एवं दस सदस्य होंगे।

(II) क्षेत्रीय निर्णायक मंडलों के अध्यक्ष केन्द्रीय निर्णायक मंडल में सदस्य होंगे। अध्यक्ष क्षेत्रीय निर्णायक मंडल का अध्यक्ष उपलब्ध न हो और वह इसकी लिखित सूचना दे तो मंत्रालय मंडल के किसी अन्य सदस्य को केन्द्रीय निर्णायक मंडल में नामित कर सकता है।

(III) सेंट्रल जूरी की बैठक दिल्ली में होगी।

(IV) केन्द्रीय निर्णायक मंडल पुरस्कारों के विभिन्न वर्गों, जैसा कि विनियम की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है, जो कि क्षेत्रीय निर्णायक मंडलों की सिफारिश पर आधारित है, के लिए शीर्षस्थ संस्था होगी।

(अ) यद्यपि, केन्द्रीय निर्णायक मंडल के पास क्षेत्रीय निर्णायक मंडल द्वारा अनुशंसित नहीं की गई फिल्मों में से एक फिल्म को शामिल करने का अधिकार होगा बशर्ते कि केन्द्रीय निर्णायक मंडल (केन्द्रीय निर्णायक मंडल के अध्यक्ष सहित) के पांच सदस्य उस फिल्म को शामिल करने हेतु लिखित में अपनी सहमति दें।

24.2 क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय निर्णायक मंडल अपनी कार्य प्रणाली का स्वतः निर्धारण करेंगे।

24.3 निर्णायक मंडल के अध्यक्ष, जब भी आवश्यक हो, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं।

गैर फ़ीचर फिल्म

25.1 गैर फीचर फिल्म निर्णायक मंडल में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम छः सदस्य होंगे जो कि सिनेमा, अन्य कलाओं तथा मानविकी के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति होते हैं। गैर-फीचर फिल्मों के निर्णायक मंडल का अध्यक्ष निर्णायक मंडल के सदस्यों में से अधिकतम दो पैनल बना सकता है।

25.2 प्रत्येक पैनल, उनके द्वारा अवलोकित फिल्मों में से अधिक से अधिक 33 प्रतिशत फिल्मों को पूर्ण निर्णायक मंडल के समक्ष संयुक्त अवलोकन हेतु रखने की सिफारिश कर सकेगा। गैर फ़ीचर फिल्म निर्णायक मंडल, पैनलों में फिल्मों के प्रदर्शन से पहले यह तय करेगा कि कुल शामिल फिल्मों में से कितनी प्रतिशत फिल्मों को पुनः प्रदर्शन हेतु रखा जाए।

25.3 गैर फीचर फिल्म निर्णायक मंडल अपने कार्य प्रणाली का स्वयं निर्धारण करेंगे। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष, जब भी आवश्यक हो, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं।

सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

26.1 सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए पुरस्कारों का निर्णय भारत सरकार द्वारा गठित निर्णायक मंडल द्वारा किया जायेगा। इस निर्णायक मंडल में अध्यक्ष सहित, साहित्य पत्रकारिता तथा सिनेमा के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखने वाले 3 सदस्य होंगे।

26.2. निर्णायक मंडल का अध्यक्ष उस भाषा के जानने वाले व्यक्तियों की सहायता ले सकेगा, जिसमें प्रविष्टियां स्वीकार की गई हैं।

26.3 भारत सरकार किसी भाषा विशेष में प्रविष्ट पुस्तकों/लेखों, समीक्षाओं की संख्या को देखते हुए अपने विवेक से पुस्तकों/लेखों, समीक्षाओं की अनुशंसा करने के लिए उस भाषा विशेष के लिए लघु क्षेत्रीय पैनल बना सकेगी। जिसे बाद में निर्णायक मंडल द्वारा सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के रूप में भी रखा जा सकता है।

गणपूर्ति

27. निर्णायक मंडल की अंतिम बैठक में गणपूर्ति निम्नानुसार होगी:

फ़ीचर फिल्म:

क्षेत्रीय निर्णायक मंडल: 4 सदस्य +अध्यक्ष,

केंद्रीय निर्णायक मंडल: 10 सदस्य +अध्यक्ष,

गैर-फीचर फिल्म: 6 सदस्य +अध्यक्ष

तथा सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन: 2 सदस्य +अध्यक्ष

भाग ब

फ़ीचर फ़िल्म

फ़ीचर फिल्म

विनियम

पुरस्कार

1. फ़ीचर फिल्म वर्ग में दिए जाने वाले पुरस्कार इन विनियमों की अनुसूची प में दिए गए हैं। यदि एक फिल्म अनुसूची I की (I) से (ix), (xxix) से (xxx) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में एक से ज्यादा पुरस्कारों के लिए अर्हक होती है तो फिल्म के निर्माता और/या निर्देशक को उस हैसियत में केवल उच्चतर पुरस्कार ही मिलेगा। उच्चतर पुरस्कार नकद घटक के अनुसार ही निश्चित किया जाएगा। तथापि यह निर्माता और/या निर्देशक को अन्य फिल्मों के लिए पुरस्कार जीतने से वंचित नहीं करेगा।

पात्रता

2.1 35 मि.मि. या बड़े गेज या डिजिटल प्रारूप में बनी किन्तु फिल्म प्रारूप अथवा वीडियो/डिजिटल प्रारूप में जारी किसी भी भारतीय भाषा में बनी और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फीचर या फीचरेट के रूप में प्रमाणीकृत फिल्म फीचर फिल्म श्रेणी के लिए पात्र है। 35 मि.मि. या चैंडे गेज (सैल्युलाइड) में प्रमाणित फिल्मों को सिर्फ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फिल्मों को 35 एम एम प्रिन्ट/डी.सी.पी; अनक्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी - नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस/ब्लूरे; रिजन फ्री पीएएल या सैल्युलाइड प्रारूप में क्षेत्रीय एवं केंद्रीय दोनों निर्णायक मंडलों द्वारा स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा सकता है।

चयन हेतु भेजी गई फिल्म CBFC प्रमाणपत्र सहित होनी चाहिए।

2.2 सर्वोत्तम बाल कथाचित्र के पुरस्कार के संबंध में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बाल फिल्म के रूप में प्रमाणित फिल्मों के अतिरिक्त निर्णायक मंडल द्वारा विचाराधीन बाल फिल्मों भी प्रतियोगिता में शामिल की जाएंगी।

2.3 किसी भी भारतीय भाषा से भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी अधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी भारतीय भाषाएं तथा देश में प्रचलित अन्य बोलियां शामिल हैं। निर्माताओं को **संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी/ जिलाधीश या गृहसचिव** से बोली के प्रचलन के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।

2.4 मूक फिल्मों भी अर्ह होंगी।

फ़िल्म की प्रविष्टि प्रक्रिया

3.1 लोकप्रिय एवं स्वस्थ, मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वोत्तम फिल्म के लिए पुरस्कार के मामले में (कृपया अनुसूची I के क्रमांक (iii) को देखें)। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन नामांकनों के प्रयोजन के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया निर्धारित प्रपत्र में, संबंधित निर्माताओं से आवेदनपत्र प्राप्त करेगा तथा उन्हें **फ़िल्म के प्रिंट/डीसीपी/ ब्लूरे/डीवी कैम और डीवीडी** तथा विनियम पर या उल्लिखित सामग्री/सूचना के साथ दिनांक 5 मार्च 2018 उससे पहले तक निदेशालय में भेजा जाए और सुनिश्चित करें कि संबंधित निर्माता 2 मार्च, 2018 या उससे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरें। इस पुरस्कार के लिए जूरी का चयन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई फिल्मों का नामांकन करने के लिए ही सीमित नहीं होगा अपितु किसी अन्य प्रविष्टि की पात्रता होने पर उस पर भी इस पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा। इस श्रेणी के अंतर्गत फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित फिल्मों में अन्य सभी पुरस्कारों के लिए भी पात्र होंगी।

3.2 निर्माता (ओं) निर्धारित ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं - फॉर्म एनएफए-I फॉर्म के साथ एनएफए-II और III। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 का प्रपत्र और विनियम निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.dff.gov.in

3.3 सारांश, फिल्म के निर्देशक, फिल्म के दृश्य और फिल्म के ट्रेलर को अनिवार्य रूप से डीवीडी फॉर्मेट / पेन ड्राइव में प्रवेश पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें डीएफएफ के पास आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रत्येक प्रवेश पत्र नीचे दी गई सामग्री के साथ (प्रतिलिपि की एक सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाए) : 65nfa.dff@gmail.com

(1) (क) फिल्म समारोह निदेशालय (अनुसूची III) एवं राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (अनुसूची IV) हेतु प्राधिकार पत्र

(ख) कथासार (250 शब्दों से कम)

(ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जारी प्रमाण पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां।

(घ) शपथ पत्र (अनुलग्नक I)

(ङ) आवेदक के आधार कार्ड (अनिवार्य) की स्वयं साक्ष्य प्रति।

(2) (क) प्रविष्टि हेतु भेजी गई प्रत्येक फिल्म के सभी दस्तावेज एवं पूर्ण विवरण (विशेषकर-कथासार, निर्माता एवं निर्देशक का विस्तृत विवरण, सभी गायकों, अभिनेताओं, प्रत्येक सह-कलाकार द्वारा किए गए अभिनय, सभी गीतों का अनुवाद, प्रत्येक गीत के लिए गायकों एवं गीतकारों के नामों, प्रत्येक गीत के नृत्य संयोजक तथा अन्य तकनीशियनों इत्यादि का विस्तृत विवरण) संभवतः पर 65nfa.dff@gmail.com ई-मेल द्वारा भेजा जाए।

(ख) यदि निर्माता यह चाहता है कि उसकी फिल्म पर सर्वोत्तम गीत पुरस्कार के लिए विचार किया जाए तो मूल भाषा में गीतों की एक प्रति तथा उनके अंग्रेजी रूपांतर की एक प्रति और फिल्म के गानों की सीडी।

(ग) (11,800 / - (GST सहित) एक गैर-प्रतिदेय प्रविष्टि शुल्क ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म जमा करने के समय ऑनलाइन भेजा जाना चाहिए।

(घ) फिल्म का प्रिन्ट (प्रिन्ट अथवा विडियो/डिजिटल प्रारूप में डीसीपी/ब्लूरे टेप्स)। 35 मि.मि. या चैंडे गेज (सैल्युलाइड) में प्रामाणित फिल्मों को सिर्फ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि विडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रामाणित फिल्मों को 35 एम एम प्रिन्ट/डी.सी.पी. (अनक्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट - जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी - नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) या सैल्युलाइड प्रारूप में भेजा जा सकता है। चयन हेतु भेजी गई फिल्म सेंसर प्रमाणपत्र सहित होनी चाहिए।

अनुसूची-1)

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विनियम

पुरस्कारों की श्रेणियां

(i)	सर्वोत्तम फीचर फिल्म	(क)	निर्माता को स्वर्ण कमल और 2,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
		(ख)	निर्देशक को स्वर्ण कमल और 2,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(ii)	निर्देशक की सर्वोत्तम प्रथम फिल्म के लिए	(क)	निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,25,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
	इंदिरा गांधी पुरस्कार	(ख)	निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,25,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(iii)	लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन करने वाली	(क)	निर्माता को स्वर्ण कमल और 2,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
	सर्वोत्तम फिल्म के लिए पुरस्कार	(ख)	निर्देशक को स्वर्ण कमल और 2,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(iv)	राष्ट्रीय एकता संबंधी सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए	(क)	निर्माता को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
	नरगिस दत्त पुरस्कार	(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(v)	सामाजिक मुद्दों पर सर्वोत्तम फिल्म (यथा-मद्यनिषेध,	(क)	निर्माता को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
	महिला एवं बाल सशक्तिकरण, सामाजिक बुराईयां	(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
	जैसे-दहेज प्रथा, नशीले पदार्थों से हानि इत्यादि,		
	विकलांगता, जनजातीय तथा देशज व्यक्ति इत्यादि)		
(vi)	पर्यावरण संरक्षणधपरिरक्षण पर सर्वोत्तम फिल्म	(क)	निर्माता को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
		(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(vii)	सर्वोत्तम बाल फिल्म	(क)	निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
		(ख)	निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(viii)	सर्वोत्तम कार्टून चित्र	(क)	निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
		(ख)	निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

		(ग)	ऐनिमेटर/कार्टून निर्देशक/डिजाइनर/पर्यवेक्षक को स्वर्ण कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(ix)	सर्वोत्तम निर्देशन		निर्देशक को स्वर्ण कमल और 2,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(x)	सर्वोत्तम अभिनेता		अभिनेता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xi)	सर्वोत्तम अभिनेत्री		अभिनेत्रीको रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xii)	सर्वोत्तम सह-अभिनेता		सह-अभिनेता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xiii)	सर्वोत्तम सह-अभिनेत्री		सह-अभिनेत्री को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xiv)	सर्वोत्तम बाल कलाकार		बाल कलाकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xv)	सर्वोत्तम पार्श्व गायक		पार्श्व गायक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xvi)	सर्वोत्तम पार्श्व गायिका		पार्श्व गायिका को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xvii)	सर्वोत्तम सिनेमाटोग्राफी	(क)	कैमरामैन को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
		(ख)	फिल्म को प्रोसेसिंग करने वाली लेबोरेटरी को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xviii)	सर्वोत्तम पटकथा	(क)	पटकथा लेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
			(मौलिक)।
		(ख)	पटकथा लेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
			(रूपान्तरित)।
		(ग)	संवाद लेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xix)	सर्वोत्तम ध्वनि आलेखन	(क)	लोकेशन ध्वनि आलेखक (केवल सिंक साउंड फिल्मों के लिए) को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
		(ख)	ध्वनि डिजाइनर को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
		(ग)	अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xx)	सर्वोत्तम सम्पादन		सम्पादक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxi)	सर्वोत्तम प्रोडक्शन डिजाइन		प्रोडक्शन डिजाइनर को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxii)	सर्वोत्तम वेशभूषाकार		वेशभूषाकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxiii)	सर्वोत्तम मेकअप कलाकार		मेकअप कलाकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxiv)	सर्वोत्तम संगीत निर्देशन	(क)	संगीत निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (गीत)।
		(ख)	संगीत निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (बैकग्राउंड संगीत)।
		स)	संगीत निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (बैकग्राउंड स्कोर)
(xxv)	सर्वोत्तम गीत		गीतकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxvi)	निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार		निर्णायक मंडल के विवेकानुसार ऐसी फिल्म या व्यक्ति जो किसी पुरस्कार के अंतर्गत न आते हों, रजत कमल तथा 2,00,000/- रुपये नकद पुरस्कार।
(xxvii)	सर्वोत्तम विशेष प्रभाव		प्रभाव सृजक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxviii)	सर्वोत्तम नृत्य कला		नृत्य संयोजक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxix)	सर्वोत्तम एक्शन निर्देशन पुरस्कार (स्टन्ट कोरियोग्राफी)		एक्शन निर्देशन के लिए रजत कमल और रुपये 50,000/- का नकद पुरस्कार होगा।
(xxx)	संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट	(क)	निर्माता को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxxii)	प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म	(ख)	निर्देशक को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxxiii)	संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट	(क)	निर्माता को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
	इतर भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म	(ख)	निर्देशक को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार-2017

प्रविष्टि प्रपत्र संदर्भ हेतु

फ़ीचर फ़िल्म

65th NATIONAL FILM AWARDS-2017

ENTRY FORM FEATURE FILMS

Note/टिप्पणी

1. Please exercise great care in filling this form. Details entered against each column in the application would be deemed to be final for the purpose of determination of Awards. No request for change of details would be entertained at any stage.
1. इस प्रपत्र को भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें। आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि किया गया विवरण पुरस्कार के लिए अंतिम माना जाएगा, इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी विवरण बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. The Producer/Production Company must ensure that the names indicated in the entry form tally with the credit titles appearing in the film.
2. निर्माता/निर्माण कंपनी यह सुनिश्चित करें कि प्रविष्टि पत्र में दिये गये नाम फ़िल्म में दिये गये क्रेडिट टाइटल्स के अनुरूप ही हों।
3. While furnishing information in column 14 of the entry form, the Producer/Production company should ensure that complete postal address, e-mail address, telephone number, mobile phone number and fax number(if any) is furnished.
3. . प्रविष्टि प्रपत्र के कॉलम 14में सूचना देते समय निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें उसका पूरा पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन नं., मोबाइल फोन नं., फैक्स नं. यदि कोई हो/दिया जाये।

4. The last date of filling the online entry form is 2 march, 2018. The last date of receiving the hard copy of the filled online form along with the requisite materials is 5 march 2018 (NOTE : Both the versions of application form submitted by the applicants must be same).

4. ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 2 मार्च 2018 है। आवश्यक सामग्री के साथ भरे गए ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2018 (नोट: आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों आवेदन फॉर्म के संस्करण समान होने चाहिए)।

1. Title of the Film: In Roman script

In Devnagri

English Translation of the film title

1. फिल्म का शीर्षक:

(क) रोमन लिपि में

(ख) देवनागरी लिपि में

(ग) फिल्म शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद

2. Language: (Please mention if the film has no dialogues)

भाषा: (यदि फिल्म में संवाद न हो तो
2. इंगित करें) :

3. Whether subtitled in English language:

3. क्या फिल्म का उपशीर्षक अंग्रेजी में

हैं:

4

. Whether it is the Director's Debut Film : Yes/No

क्या यह निर्देशक की पहली फिल्म है:

हाँ / नहीं

5. Length of the film in meters (if on a film format) :

(As certified in CBFC certificate)

फ़िल्म की लम्बाई मीटरों में (यदि फ़िल्म प्रारूप में है) (जैसे कि CBFC प्रमाण पत्र में प्रमाणित है):

6. Running Time : Minutes

कितने समय की है : मिनट

7. Number of reels/tapes :

रीलों/ टेपों की संख्या :

8. Format: 35 mm/

8। प्रारूप: 35 मि.मी.

डीसीपी/ब्लूरे (ब) अस्पेक्ट अनुपात :

9. Colour/Black & White

9. रंगीन/श्वेत-श्याम

10. Number and Date of CBFC Certificate

10. CBFC प्रमाणपत्र की संख्या तथा तारीख

11. Company Registration details: (If any)

11- कंपनी का पंजीकरण विवरण: (यदि कोई है)

12. Title registration details: (If any)

12. शीर्षक का पंजीकरण विवरण: (यदि कोई है)

13. Name, address and telephone number of the following

(a) Producer:

(i) Whether citizen of India (Yes/No) (If not please mention the Country of citizenship)

(ii) In case of more than one producer and in case the film wins an award, please state name of **ONLY** one producer who would receive the award on behalf of other producers

(iii) **(ii) Aadhaar Card No. (Mandatory) :**

14- निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, पता, तथा टेलीफोन नं.

(क) निर्माता :

(i) क्या भारतीय नागरिक है: (हां/नहीं) (यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)

(ii) यदि किसी फ़िल्म के एक से अधिक निर्माता हैं और फ़िल्म पुरस्कार के लिए नामित होती है तो कृपया केवल एक निर्माता का नाम लिखें जो अन्य निर्माताओं की ओर से पुरस्कार प्राप्त करेंगे।

(iii) आधार कार्ड संख्या (अनिवार्य):

(b) Director: (Whether citizen of India) Yes/No
(If not please mention the Country of citizenship)

ख) निदेशक:

क्या भारतीय है % हाँ / नहीं
नागरिक
क

तो

(यदि नहीं) नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)

(c) Screenplay Writer

(i) Original Screenplay

(ii) Adapted Screenplay

For adapted screenplay, please mention/submit the following:-

1. Name of the story writer.
2. A copy of the original work
3. Whether the work is under public domain Yes/No

Without above information and documents, the film will not be considered for this particular award. (iii) Dialogues

(ग) पटकथा लेखक :

- (i) मौलिक पटकथा लेखक
- (ii) रूपान्तरित पटकथा लेखक

(क्या फिल्म मौलिक पटकथा पर आधारित है। यदि हा, तो कृपया मूल पटकथा लेखक का नामोल्लेख करें। यदि फिल्म मौलिक पटकथा पर आधारित नहीं है एवं रूपान्तरित पटकथा पर आधारित है तो कृपया निम्नलिखित का उल्लेख करें/जमा करें)

1. मूल कहानी के लेखक का नाम

2. मूल रचना की एक प्रति

3. क्या रचना का स्वामित्व सार्वजनिक है

हां/नहीं

उपरोक्त सूचना एवं कागजात के बिना इस पुरस्कार के लिए फिल्म पर, विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) संवाद लेखक

(d) Lead Actor: (a) Name

(b) Screen

Name Voice-
original/dubbed

Note: Dubbing of dialogues by some other artist will make the entry ineligible for award at Sl.(x) of Schedule I

(घ) मुख्य अभिनेता: (अ) नाम

(ब) स्क्रीन

ध्वनि - मूल/डब

टिप्पणी: संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची (x) की क्रम सं. (ग) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

(e) Lead Actress: (a) Name :
(b) Screen Name :

Voice-original/dubbed

Note: Dubbing of dialogues by some other artist will make the entry ineligible for award at Sl.(xi) of Schedule I

(ई) मुख्य अभिनेत्री : (अ) नाम :

(ब) स्क्रीन नाम :

ध्वनि - मूल/डब

टिप्पणी: संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची i की क्रम सं. (xi) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

(f) Supporting Actor : (a) Name
(b) Screen

Name Voice-original/dubbed

Note: Dubbing of dialogues by some other artist will make the entry ineligible for award at Sl.(xii) of Schedule I

(च) सह अभिनेता: (अ) नाम :

(ब) स्क्रीन नाम :

ध्वनि - मूल/डब

टिप्पणी: संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची i की क्रम सं. (xii) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

(g) Supporting Actress:(a) Name
(b) Screen

Name Voice-original/dubbed

Note: Dubbing of dialogues by some other artist will make the entry ineligible for award at Sl.(xiii) of Schedule I

(ज) सह-अभिनेत्री:(अ) नाम :

(ब) स्क्रीन नाम :

ध्वनि - मूल/डब

टिप्पणी: संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची i की क्रम सं. (xiii) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

(h) Child Artist: (a) Name
(b) Screen Name

Voice-original/dubbed

Note: Dubbing of dialogues by some other artist will make the entry ineligible for award at Sl.(xiv) of Schedule I

¼½ बाल कलाकार : नाम:

स्क्रीन नाम

ध्वनि - मूल/डब

टिप्पणी: संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची i की क्रम सं. (xiv) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

(i) Cinematographer:

Note: Please state clearly if the film was originally shot on a digital/video format

(झ) सिनेमैटोग्राफर:

टिप्पणी: कृपया स्पष्ट करें यदि फिल्म डिजीटल/वीडियो प्रारूप में शूट की गई है।

(j) Audiographer(s)

(i) Location Sound Recordist (for sync sound films only)

(ii) Sound Designer

(iii) Re-recordist of the final mixed Track

(ज) ध्वनि आलेखक:

(i) लोकेशन ध्वनि आलेखक ;केवल सिंक साउंड फिल्मों के लिए

(ii) ध्वनि डिजाइनर

(iii) अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक

(k) Editor:

(ट) सम्पादक:

(l) Production Designer :

(ठ) प्रॉडक्शन डिज़ाइनर%

(m) Costume Designer(s) :

(ड) वेशभूषाकार:

(n) Make-Up Director (s) :

(ढ) श्रृंगार निर्देशक:

(o) Music Director(s):

(i) Music Director (Songs)

(Names of music director may be mentioned for each song separately).

(ii) Music Director (Background Score)

(ण) संगीत निर्देशक:

(i) संगीत निर्देशक (गीत)

(प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें),

(ii) संगीत निर्देशक (बैकग्राउंड संगीत)

(p) Lyricist:

(Names of lyricist may be mentioned for each song separately).

(त) गीतकार :

प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें),

(q) Playback Singer (Male):

(Name of Playback Singer (Male) may be mentioned for each song separately).

(थ) पार्श्व गायक:

प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें),

(r) Playback Singer (Female):

(Name of Playback Singer (Female) may be mentioned for each song separately).

(द) पार्श्वगायिका:

प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें),

(s) Animator (in case of an animation film) :

(ध) ऐनीमेटर (कार्टून फिल्म के मामले में):

(t) Choreographer(s):

(न) नृत्य संयोजक :

u) Special Effects Creator:

(प) विशेष प्रभाव सृजक :

Print of the film to be returned
14. to:
Name :
Postal Address (with Pin Code number) : Tele : (M) (O) (Fax)
Email : Website :
फ़िल्म का प्रिन्ट निम्नलिखित पते पर वापिस भेजा जाए:

14.

नामः

डाक का पता (पिन कोड सहित): दूरभाष ः मोबाइल ः

कार्यालय फ़ैक्स: ई-मेल ः वेबसाइट ः

:

15. ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का विवरण:

भुगतान तिथि

रु/ का शुल्क

रसीद संख्या / भुगतान संदर्भ

भुगतान रसीद संलग्न करें (स्कैन कॉपी करें)

16. Authorisation Letters in favour of DFF and NFAI are enclosed: Yes/No
फ़ि समारोह निदेशालय तथा फ़िल्म संग्रहालय के पक्ष में पत्र संलग्न है:- हां/नहीं
ल्म राष्ट्रीय प्राधिकार

16.

17.I/we have No Objection for screening of this film for jury or any of their panels, for non-commercial public shows of the film as part of promotion of quality Indian cinema within India and abroad in festivals/ special expositions organized/ supported by the Directorate of Film Festivals in any format (print or digital) as well as promotion of the film through the use of film stills/ posters and trailers/ visual clips. I/we also assure that this No Objection for the Directorate will remain valid notwithstanding any rights assigned by me/us to any other individual/ organization for screening the film in any territory on commercial/ non-commercial basis in future.

17. मुझे/हमें इस फिल्म का निर्णायक मंडल के लिए या इसके किसी पैनल के लिए अथवा उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल इस फिल्म के प्रोत्साहन के लिए भारत अथवा विदेश में फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित/प्रोत्साहित विभिन्न फिल्म समारोहों/विशिष्ट आयोजनों में अव्यापारिक आम प्रदर्शन किसी भी प्रारूप ;प्रिंट अथवा डिजीटलद्ध में तथा फोटो/पोस्टर/ट्रेलर/दृश्य क्लिपिंग के माध्यम से फिल्म के प्रोत्साहन एवं उन्नयन में कोई आपत्ति नहीं है। मैं/हम यह भी विश्वास दिलाता हूं/दिलाते हैं कि भविष्य में यदि फिल्म के अधिकार किसी भी क्षेत्र में व्यापारिक/अव्यापारिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दे दिए जाते हैं तब भी यह अनापत्ति फिल्म समारोह निदेशालय के लिए मान्य रहेगी।

18.(a) I/We have gone through the National Film Awards Regulations and I/We accept these Regulations.

The jury shall make recommendations, which will be approved by the Ministry of Information and Broadcasting and the decision of the Ministry shall be final and binding

18. (क) मैंने/हमने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विनियम देख लिए हैं और मैं/ हम इन विनियमों को स्वीकार करते हैं।

जूरी को पुनः समन्वय करना होगा, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगा और मंत्रालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और उनके फैसले के संबंध में अपील या पत्राचार का मनोरंजन नहीं किया जाएगा।

19. I/We certify that the film entered is **NOT** a dubbed/revised/copied version of a film.

19.मैं/ हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि प्रविष्टि फिल्म का डब/संशोधित/नकल किया हुआ रूपांतर नहीं है।

20. I/We certify that the musical score used is original.

20- मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।

21. I also certify that the film in no way violates any provisions of the Indian Copyright Act, 1957.

21. मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि फिल्म किसी भी रूप में भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन नहीं करती।

22.I/We hereby declare that the information provided is true to the best of my/our knowledge and corresponds with the credit titles of the film. I/we also understand that the Directorate has the right to reject any entry, at any stage, if the information entered in this form is found to be incomplete or incorrect.

22.मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचनाएँ मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार ठीक हैं तथा कथित फिल्म के नामोल्लेख के अनुरूप हैं। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि निदेशालय को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि उन्हें लगे कि प्रविष्टि में प्रदत्त सूचनाएँ, अधूरी या गलत हैं तो उसे किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकते हैं।

Signature

हस्ताक्षर

(Seal)

(मुहर)

Date

:तारीख

:

Name, full address and telephone number of the person making the entry:

प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता तथा टेलीफोन नं

Name (Block Letters)

नाम (साफ अक्षरों में)

Address Telephone
No.(Off.) (Res.)

पता टेलीफोन न. (कार्यालय) (निवास)

Mobile:

मोबाइल :

Fax

फैक्स :

E mail

ई-मेल :

फ़ीचर फ़िल्म

जांच सूची

- 1.ऑनलाइन प्रविष्टि प्रपत्र ;की हार्ड प्रति (दो प्रतियां)
- 2.ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा किया जाना है (11,800/- जीएसटी सहित फ़ीचर फ़िल्म के लिए)
- 3.फ़िल्म समारोह निदेशालय एवं राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय हेतु प्राधिकार पत्र
- 4.शपथ-पत्र (अनुलग्नक I)
- 5.केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाण पत्र
- 6.आवेदक के आधार की स्वयं साक्ष्य पार्टी लगाना अनिवार्य है |
- 7.प्रिन्ट/डीसीपी/ब्लूरे
- 8.ऑडियो सीडी
- 9.गीत की मूल भाषा की एक सी डी एवं उसका अंग्रेज़ी अनुवाद।
10. फ़िल्म का सारांश, निर्देशक की तस्वीर, फ़िल्म के चलचित्र और फ़िल्म का ट्रेलर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि पत्र के साथ डीवीडी/पेनड्राइव में साथ ही 65nfa.dff@gmail.com पर मेल किया जाना चाहिए |

अनुलग्नक-1
65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम 2017

शपथ पत्र
(फ़ीचर फ़िल्म हेतु)
(20 रुपये या अधिक के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें)

में घोषणा करता हूँ कि:

- (1) प्रविष्टि प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्रों में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम क्रेडिट शीर्षक में दिए गए नामों के समान ही हैं।
- (3) प्रमाणित किया जाता है कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।
- (4) प्रस्तुत फिल्म का प्रिन्ट/वीडियो केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित पहला मूल संस्करण है।
- (5) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा मूल प्रमाणन प्राप्ति के पश्चात फिल्म/वीडियो में कोई फेर बदल नहीं किया गया है।

निर्माता का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल : _____

दूरभाष (का.) _____

भाग स

गैर फ़ीचर फ़िल्म

गैर फ़ीचर फ़िल्म

विनियम

पुरस्कार

1. गैर फ़ीचर फ़िल्म वर्ग के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार अनुसूची-II में दिए गए हैं। यदि एक फ़िल्म अनुसूची (I) की (ग (अ)II) से में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में एक से ज्यादा पुरस्कारों के लिए अर्हक होती है तो फ़िल्म के निर्माता और/या निर्देशक को उस हैसियत में केवल उच्चतर पुरस्कार ही मिलेगा। उच्चतर पुरस्कार नकद घटक के अनुसार ही निश्चित किया जाएगा। तथापि यह निर्माता और/या निर्देशक को अन्य फ़िल्मों के लिए पुरस्कार जीतने से वंचित नहीं करेगा।

पात्रता

2.1 भारत में स्थित फ़िल्म संस्थानों के विदेशी छात्रों द्वारा निर्देशित गैर फ़ीचर फ़िल्मों में प्रविष्टि के लिए पात्र होंगी यदि उनकी प्रविष्टियां संबंधित संस्थानों के माध्यम से भेजी गई हों।

2.2 35 मि.मि. या बड़े गेज या डिजिटल प्रारूप में बनी किन्तु फ़िल्म प्रारूप अथवा वीडियो/डिजिटल प्रारूप में जारी किसी भी भारतीय भाषा में बनी और केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वृत्त-चित्र/न्यूजरील/गैर-कथाचित्र/सर्वोत्तम लघु कल्पित के रूप में प्रमाणीकृत फ़िल्म गैर फ़ीचर फ़िल्म वर्ग के लिए पात्र हैं।

2.3 35 मि.मि. या चैडे गेज (सैल्युलाइड) में प्रमाणित फ़िल्मों को सिर्फ़ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फ़िल्मों को 35 एमएम प्रिन्ट/डी.सी.पी. (अनक्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल)/डीवी कैम या सैल्युलाइड प्रारूप में निर्णायक मंडल द्वारा स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा सकता है। चयन हेतु भेजी गई फ़िल्म सेंसर प्रमाणपत्र सहित होनी चाहिए।

2.4 किसी भी भारतीय भाषा से भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी अधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी भारतीय भाषाएं तथा देश में प्रचलित अन्य बोलियां शामिल हैं। निर्माताओं को संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी/जिलाधीश या गृहसचिव से बोली के प्रचलन के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।

2.5 मूक फ़िल्मों में भी अर्ह होंगी।

2.6 किसी भी व्यक्ति, निर्माता, निर्माता एकक, सरकारी संगठन, कंपनियों तथा फ़िल्म तथा मीडिया संस्थानों के विद्यार्थियों से अधिकतम 7 प्रविष्टियां ही स्वीकार की जाएंगी। फिल्म और मीडिया संस्थानों से प्रविष्टि इस आधार पर स्वीकार की जायेगी कि वह फिल्म गैर-कथाचित्र/डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष के छात्र की हो तथा विधिवत रूप से यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह इस संस्थान के छात्र की स्वतन्त्र रूप से बनाई फिल्म हो।

फ़िल्म की प्रविष्टि प्रक्रिया

3. प्रविष्टि के साथ निम्नलिखित भी भेजा जाए:-

(क) फिल्म समारोह निदेशालय (अनुसूची III) एवं राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (अनुसूची IV) हेतु प्राधिकार पत्र

(ख) कथासार (250 शब्दों से कम) (65nfa.dff@gmail.com पर ई मेल भी करें)

(ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जारी प्रमाण पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां।

(घ) शपथ पत्र (अनुलग्नक I)

(ङ) आधार कार्ड की स्वयं साक्ष्य प्रति लगायें (अनिवार्य)|

(ढ) ऑनलाइन प्रवेश फार्म जमा करने के समय 5900 / - (प्लस जीएसटी) का एक गैर-वापसीयोग्य प्रवेश शुल्क ऑनलाइन भरना होगा।

(च) फिल्म का प्रिन्ट (प्रिन्ट अथवा वीडियो/डिजिटल प्रारूप में डीसीपी/ब्लूरे/डीवी कैम)

(छ) निर्माता, निर्देशक, कैमरामैन, संगीत निर्देशक ध्वनि आलेखक, संपादक, प्राक्कथक, संगीत निर्देशक, एनीमेटर (कार्टून फिल्मों के मामले में) की संक्षिप्त जीवनियां और प्रत्येक के दो-दो फोटो (केवल 65nfa.dff@gmail.com ई-मेल द्वारा भेजे जाएं)

अनुसूची II

										पुरस्कार	की श्रेणियाँ
(i) सर्वोत्तम गैर- फ्रीचर फिल्म										(क)	निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
										(ख)	निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
(ii) निर्देशक की प्रथमसर्वोत्तम गैर- फ्रीचर फिल्म										(क)	निर्माता को रजत कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
										(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(iii) सर्वोत्तम मानवशास्त्रीय / मानवजातीय फिल्म										(क)	निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
										(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(iv) सर्वोत्तम जीवनी/ ऐतिहासिक पुनर्निर्माण										(क)	निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
संकलन फिल्म										(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(v) सर्वोत्तम कला/सांस्कृतिक फिल्म										(क)	निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
										(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(vi) सर्वोत्तम वैज्ञानिक एवं तकनीकी फिल्म										(क)	निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
										(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(vii) सर्वोत्तम प्रोत्साहन देने वाली फिल्म (पर्यटन, निर्यात, कारीगरी, उद्योग विषयों को शामिल करना)										(क)	निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
										(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(viii) सर्वोत्तम पर्यावरण फिल्म (कृषि सहित)										(क)	निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
										(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(ix) सामाजिक मुद्दों पर सर्वोत्तम फिल्म (यथा- मद्यनिषेध, महिला एवं बाल सशक्तिकरण, सामाजिक बुराईयां जैसे-दहेज प्रथा, नशीले पदार्थों से हानि इत्यादि, विकलांगता, जनजातिय तथा देशज व्यक्ति इत्यादि)										(क)	निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
										(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(x) सर्वोत्तम शैक्षिक फिल्म										(क)	निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
										(ख)	निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xi) सर्वोत्तम गवेषणा साहसी फिल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(खेलों को शामिल करना)	(ख) निर्देशकको रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xii)सर्वोत्तम खोजी फिल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
	(ख) निर्देशकको रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
(xiii)सर्वोत्तम कार्टून चित्र	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
	(ख) निर्देशकको रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
	(ग) एनिमेटरको रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xiv)निर्णायक मण्डल का विशेष पुरस्कार		रजत कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार निर्णायक मंडल के विवेकानुसार ऐसी फ़िल्म या व्यक्ति को दिया जाता है, जिसे पहले कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।
(xv)सर्वोत्तम लघु कल्पित फ़िल्म		(क)निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख)निर्देशकको रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xvi)पारिवारिक मूल्यों पर सर्वोत्तम फ़िल्म		(क)निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख)निर्देशकको रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xvii) सर्वोत्तम निर्देशन		निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xviii) सर्वोत्तम छायांकन		(क) कैमरामैन को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) फ़िल्म प्रोसेसिंग करने वाली प्रयोगशाला को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
(xix)सर्वोत्तम ध्वनि आलेखन		अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
सर्वश्रेष्ठ ऑन लोकेशन साउंड		(क)ऑन लोकेशन साउण्ड रिकार्डिस्ट को रजत कमल और रुपये 50,000/- का नकद पुरस्कार ।
(xx) सर्वोत्तम सम्पादन		संपादक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxi) सर्वोत्तम संगीत निर्देशन		संगीत निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxii) सर्वोत्तम प्रकथन/ वायस ओवर		सर्वोत्तम प्रकथन/वायस ओवर आर्टिस्ट को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार-2017

प्रविष्टि प्रपत्र संदर्भ हेतु

गैर-फीचर फ़िल्म

Note/टिप्पणी

1. Please exercise great care in filling this form. Details entered against each column in the application would be deemed to be final for the purpose of determination of Awards. No request for change of details would be entertained at any stage.
1. इस प्रपत्र को भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें। आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि किया गया विवरण पुरस्कार के लिए अंतिम माना जाएगा, इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी विवरण बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. The Producer/Production Company must ensure that the names indicated in the entry form tally with the credit titles appearing in the film.
2. निर्माता/निर्माण कंपनी यह सुनिश्चित करें कि प्रविष्टि पत्र में दिये गये नाम फिल्म में दिये गये श्रेडिट टाइटल्स के अनुरूप ही हों।
3. While furnishing information in column 14 of the entry form, the Producer/Production company should ensure that complete postal address, e-mail address, telephone number (Fixed number & Mobile) is furnished.
3. प्रविष्टि प्रपत्र के कॉलम 14 में सूचना देते समय निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें उसका पूरा पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन नं., मोबाइल फोन नं., फैक्स नं. (यदि कोई हो) दिया जाये।

4. ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म की अंतिम तिथि 2 मार्च 2018 है। आवश्यक सामग्री के साथ भरे हुए ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2018 है (टिप्पणी : आवेदन जमा करने के दोनों संस्करण समान होने चाहिए)

1. Title of the Film: In

Roman

Script In

Devnagri

English translation of the film title

1. फ़िल्म का शीर्षक:

(क)रोमन लिपि में

(ख)देवनागरी में

(ग)फ़िल्म शीर्षक का अंग्रेजी अन्वाद

2. Language: (Please mention if the film has no dialogues)

2.. भाषा: (यदि फ़िल्म में संवाद न हों तो इंगित करें)

3. Whether subtitled in English language:

क्या फ़िल्म का उपशीर्षक अंग्रेजी

3. में हैं:

4. Whether it is the Director's Debut Film : Yes/No

क्या यह निर्देशक की पहली फ़िल्म है: हांथ नहीं

4.

5. Length of the film in meters (if on a film format) :

(As certified in CBFC certificate)

फ़िल्म की लम्बाई मीटरों में (यदि फ़िल्म प्रारूप में है):

5.

(जैसे कि CBFC प्रमाण पत्र में

प्रमाणित है)

6Running Time : Minutes

6.कितनी अवधि की है: मिनट

7.Number of reels/tapes :

7.रीलों/टैपों की

संख्या:

8.Format: 35 mm or Video/Digital

8.प्रारूप: 35 मि.मी. (अ) अस्पेक्ट अनुपात

अथवा

(ब) साउंड सिस्टम: ऑप्टिकल मोनो/डॉल्बी/डीटीएस और अन्य

9. Colour/Black & White

9. रंगीन/श्वेत-श्याम

10. Number and Date of CBFC Certificate, company registration details (if any)

10.

CBFC प्रमाणपत्र की संख्या तथा तारीख कंपनी पंजीकरण का विवरण (यदि कोई है)

11. TITLE Registration details: (If any)

11. शीर्षक का पंजीकरण विवरण: (यदि कोई है)

12. Name, address and telephone number of the following

12. निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, पता, तथा टेलीफोन नं.

(a) Producer:

(i) Whether citizen of India (Yes/No)

(If not please mention the Country of citizenship)

(ii) Self attested copy of Applicant Aadhaar Card (Mandatory).

(ii) In case of more than one producer and in case the film wins an award, please state name of ONLY one producer who would receive the award on behalf of other producers

निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, पता, तथा टेलीफोन नं.

(iii) (क) निर्माता :

(i) क्या भारतीय नागरिक है: (हां/नहीं)

(यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)

(ii) आधार कार्ड की स्वयं साक्ष्य प्रति (अनिवार्य) |

(iii) यदि किसी फ़िल्म के एक से अधिक निर्माता हैं और फ़िल्म पुरस्कार के लिए नामित होती है तो कृपया केवल एक निर्माता का नाम लिखें जो अन्य निर्माताओं की ओर से पुरस्कार प्राप्त करेंगे।

-
- (b) Director :
Whether citizen of (Yes/No
India :)
(If not please mention the Country of citizenship)

(ख) निर्देशक:

क्या भारतीय नागरिक है:(हां/नहीं)

(यदि नहीं, तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)

(c) Cinematographer:

Note: Please state clearly if the film was originally shot on a digital/video format

(ग) सिनेमैटोग्राफर:

टिप्पणी: कृपया स्पष्ट करें यदि फ़िल्म डिजीटल/वीडियो प्रारूप में शूट की गई है

(d) Audiographer(s)

(i) Re-recordist of the final mixed Track

घ) ध्वनि आलेखक:

(i) अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक

(e) Editor:

(f) .इ) सम्पादक:

(f) Music Director(s) :
Note; Please state if the Musical Score is original

(च) संगीत निर्देशक:

टिप्पणी: कृपया उल्लेख करें कि संगीत मौलिक है

(g) Narrator/Voice Over Artist:

(छ) प्रकथन/वॉयस ओवर कलाकार:

13. Print of the film to be returned to:

Name :

Postal Address (with Pin Code number) : Tele : (M) (O) (Fax)

Email : Website :

13 का प्रिन्ट निम्नलिखित पते पर वापिस भेजा जाए :

नाम :

डाक का पता (पिन कोड सहित) :

कार्यालय :

फैक्स :

दूरभाष :

ई-मेल :

मोबाइल :

वेबसाइट :

(अ) भुगतान तिथि (ब) फीस

(रु/-) (स) रिसीप्ट

संख्या/भुगतान उल्लेख (इ)

भुगतान रिसीप्ट संलग्न करें

(स्कैन प्रति)

14. ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का विवरण :

15. Authorisation Letters in favour of DFF and NFAI are enclosed: Yes/No

1 फिल्म समारोह निदेशालय तथा राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के पक्ष में प्राधिकार पत्र संलग्न

5 है:-

हां/नहीं

16. I/we have No Objection for screening of this film for jury or any of their panels, for non-commercial public shows of the film as part of promotion of quality Indian cinema within India and abroad in festivals/ special expositions organized/ supported by the Directorate of Film Festivals in any format (print or digital) as well as promotion of the film through the use of film stills/ posters and trailers/ visual clips. I/we

also assure that this No Objection for the Directorate will remain valid notwithstanding any rights assigned by me/us to any other individual/ organization for screening the film in any territory on commercial/ non-commercial basis in future.

b) Further DFF reserve the right to subtitle the films in any Indian/foreign language at its own cost and the right holder shall submit the script (EST) of film immediately after announcement of National Film Awards for Non-Commercial Screening in India and Abroad.

c) All award winning films Prints/DCP(Unencrypted)/Blu Ray submitted for the Jury screening shall be retained by DFF for Non- Commercial Screening in India and Abroad.

16. मुझे/हमें इस फिल्म का निर्णायक मंडल के लिए या इसके किसी पैनल के लिए अथवा उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल इस फिल्म के प्रोत्साहन के लिए भारत अथवा विदेश में फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित/प्रोत्साहित विभिन्न फिल्म समारोहों/विशिष्ट आयोजनों में अव्यापारिक आम प्रदर्शन किसी भी प्रारूप (प्रिंट अथवा डिजीटल) में तथा फोटो/पोस्टर/ट्रेलर/दृश्य क्लिपिंग के माध्यम से फिल्म के प्रोत्साहन एवं उन्नयन में कोई आपत्ति नहीं है। मैं/हम यह भी विश्वास दिलाता हूँ/दिलाते हैं कि भविष्य में यदि फिल्म के अधिकार किसी भी क्षेत्र में व्यापारिक/अव्यापारिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दे दिए जाते हैं तब भी यह अनापत्ति फिल्म समारोह निदेशालय के लिए मान्य रहेगी।

(ब) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा के तुरंत बाद सही धारक फिल्म की स्क्रिप्ट (ईएसटी) प्रस्तुत करेंगे और निदेशालय अपनी जिम्मेदारी पर भारत और विदेश में गैर-लाभकारी प्रदर्शनी के लिए भविष्य में फिल्मों के उपशीर्षक रखने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(स) जूरी प्रदर्शनी के लिए प्रस्तुत सभी पुरस्कार विजेता फिल्म प्रिंट / डीसीपी (अनएन्क्रिप्टेड) / ब्ल्यू रे, भारत और विदेश में गैर-लाभकारी प्रदर्शनी के लिए निदेशालय द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी।

17.(a) I/We have gone through the National Film Awards Regulations and I/We accept these Regulations.

(b) The jury shall make recommendations, which will be approved by the Ministry of Information and Broadcasting and the decision of the Ministry shall be final and binding.

(c) I/WE AGREE TO ABIDE BY THE DECISION OF MINISTRY AS FINAL AND BINDING.

(d) THE DECISION OF THE MINISTRY SHALL BE FINAL AND BINDING AND NO APPEAL OR

CORRESPONDENCE REGARDING THEIR DECISION SHALL BE MADE BY ME/US.

17.

(क) मैंने/हमने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विनियम देख लिए हैं और मैं/ हम इन विनियमों को स्वीकार करते हैं।

(बीजूरी सिफारिशें करेगी (, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी जाएगी और मंत्रालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(सी हम अंतिम और / मैं (बाध्यकारी रूप में मंत्रालय के निर्णय से सहमत हैं।

(डीमंत्रालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और उनके निर्णय के संबंध में कोई अपील या निवेदन (नहीं होगा।

18 मैं/ हम प्रमाणित करता है/करते हैं कि प्रविष्टि फिल्म का डब/संशोधित/नकल किया हुआ रूपांतर नहीं है।

19. I/We certify that the footage acquired for the film has proper permissions and due credits have been given in the film.

19 मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि फिल्म में अधिगृहीत दृश्यों के लिए यथोचित अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है एवं इसे शीर्षकों में दर्शाया भी गया है।

20. I/We certify that the musical score used is *original*.

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।

21. I also certify that the film in no way violates any provisions of the Indian Copyright Act, 1957.

21. मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि फिल्म किसी भी रूप में भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन नहीं करती।

22. I/We hereby declare that the information provided is true to the best of my/our knowledge and corresponds with the credit titles of the film. I/we also understand that the Directorate has the right to reject any entry, at any stage, if the information entered in this form is found to be incomplete or incorrect.

22 मैं/ हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार ठीक हैं तथा कथित फिल्म के नामोल्लेख के अनुकूल हैं। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/ करते हैं कि निदेशालय को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि उन्हें लगे कि प्रविष्टि में प्रदत्त सूचनाएं, अधूरी या गलत हैं तो उसे किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकते हैं।

Signature

हस्ताक्षर

(Seal)

मोहर

Date :

दिनांक

Name, full address and telephone number of the person making the entry:
प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति का नामए पूरा पता तथा टेलीफोन नं.

Name (Block Letters)

नाम (साफ

अक्षरों में)

Address	Telephone No.(Off.)	(Res.)
पता	टेलीफोन नंबर	(घर)

Mobile:

मोबाइल :

Fax
फैक्स :

E mail
ई-मेल :

गैर-फ़ीचर फ़िल्म

जांच सूची

- 1.ऑनलाइन प्रविष्टि प्रपत्र ;की हार्ड प्रति (दो प्रतियां)
- 2.ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा किया जाना है (5900/- जीएसटी सहित गैर-फ़ीचर फ़िल्म के लिए)
- 3.फ़िल्म समारोह निदेशालय एवं राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय हेतु प्राधिकार पत्र
- 4.शपथ-पत्र (अनुलग्नक प)
- 5.केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाण पत्र
- 6.आवेदक के आधार की स्वयं साक्ष्य प्रति लगाना अनिवार्य है ।**
- 7.डीवी कैम /डीसीपी/ब्लूरे
- 8.गीत की मूल भाषा की एक सी डी एवं उसका अंग्रेज़ी अनुवाद।
9. फ़िल्म का सारांश, निर्देशक की तस्वीर, फ़िल्म के चलचित्र और फ़िल्म का ट्रेलर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि पत्र के साथ डीवीडी/पेनड्राइव में साथ ही 65nfa.dff@gmail.com पर मेल किया जाना चाहिए ।

Check list for films

1. Hard Copy of online entry Form (two copies).
2. **Entry fee to be submitted online (Rs. 5,900/- plus GST for Non-Feature Film).**
3. Authorization Letter for DFF & NFAI
4. Affidavit (Annexure I).
5. CBFC Certificate.
- 6. Self attested copy of Applicant Aadhaar Card is mandatory.**
7. Bluray /DCP /DV CAM
8. One copy of Lyrics in original language & its English translation
9. Synopsis, photo of director, stills of the film and trailer of the film should be mandatorily submitted along with the entry form in DVD / Pen Drive as well as by e-mail to 65nfa.dff@gmail.com

65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017
शपथ पत्र (गैर-फ़ीचर फ़िल्म हेतु)
(20 रुपये या अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें)

फिल्म का शीर्षक:

मैं घोषणा करता हूँ कि:

- (1) प्रविष्टि प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्रों में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम क्रेडिट शीर्षक में दिए गए नामों के समान ही हैं।
- (3) प्रस्तुत फिल्म का प्रिन्ट/वीडियो केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित पहला मूल संस्करण है।
- (4) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा मूल प्रमाणन प्राप्ति के पश्चात फिल्म/वीडियो में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
- (5) मेरी फिल्म का संगीत मौलिक है।
- (6) सम्पूर्ण फुटेज मौलिक है।
- (7) फिल्म में जहां भी संचित दृश्यों को प्रयोग किया है उसकी यथोचित अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है:
 - (अ) मैं संचित दृश्यों की पूरी सूची प्रत्येक शाॅट की अवधि के साथ संलग्न कर रहा/रही हूँ।
 - (ब) मैं संचित दृश्यों के प्रयोग के प्राधिकार के अनुज्ञप्ति पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर रहा/रही हूँ।
 - (स) प्रमाणित किया जाता है कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।

निर्माता का नाम: -----

पता: -----

मोबाइल: -----

दूरभाष (का.) -----

भाग द

सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन

सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन

विनियम

पुरस्कार:

1. इस वर्ग में निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:

सिनेमा पर सर्वोत्तम पुस्तक

(क) पुस्तक के लेखक/लेखकों को स्वर्ण कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। संयुक्त लेखकों की दशा में नकद पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बराबर-बराबर बांटा जाएगा।

(ख) पुस्तक के प्रकाशक को स्वर्ण कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

सर्वोत्तम फिल्म समीक्षक:

(ग) स्वर्ण कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

पात्रता:

2.1 01 जनवरी 2017 तथा 31 दिसम्बर 2017 (दोनों दिन शामिल) के बीच सिनेमा पर किसी भी भाषा में भारत में प्रकाशित कोई भी पुस्तक पुरस्कार के लिए पात्र है।

2.2 सर्वोत्तम फिल्म समीक्षक पुरस्कार 01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक की अवधि में किसी भी भाषा में भारतीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और मैगजीनों में सिनेमा पर प्रकाशित समालोचनात्मक अध्ययनों के लिए, सर्वोत्तम समीक्षक को दिया जाएगा।

2.3 उसी लेखक के उन लेखों के संग्रह, जो पात्रता की अवधि के अन्दर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए गए हों, भी पात्र हैं।

2.4 अनुवाद, संक्षेप तथा सम्पादित या समीक्षा और पुनर्मुद्रण संबंधी रचनाएं पात्र नहीं हैं।

2.5 लेखक/समीक्षक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

2.6 आयोजकों के स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा लिखी पुस्तक और/अथवा किसी लेख को प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.7 लेख प्रिन्ट मीडिया के उन नियमित प्रकाशनों या समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिए जो कि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय (आर.एन.आई.) में पंजीकृत हों।

प्रविष्टि की प्रक्रिया:

3.1 सिनेमा पर सर्वोत्तम पुस्तक के लिए पुरस्कार के मामले में प्रविष्टि उसके लेखक या प्रकाशक द्वारा की जा सकती है। सर्वोत्तम फिल्म समीक्षक के लिए पुरस्कार के मामले में प्रविष्टि स्वयं समीक्षक द्वारा अथवा समाचार पत्र/पत्रिका/मैगजीन के प्रकाशक/संपादक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु पुरस्कार केवल लेखक/समीक्षक को ही दिया जाएगा।

3.2 प्रकाशक/कम्पनी भारतीय होने चाहिए।

3.3 आवेदक के आधार कार्ड की स्वयं साक्ष्य प्रति संलग्न करें (अनिवार्य)।

3.4 निदेशालय के विचार के लिए प्रकाशक/लेखक के पूरे पते के साथ पुस्तक/लेखों की अनुसंशा फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया से सम्बद्ध संस्थाओं, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, साहित्य कला अकादमियों या किसी भी मान्यता-प्राप्त साहित्य-सांस्कृतिक संगठन द्वारा की जा सकती है। फिर निदेशालय पुरस्कारों के लिए विचार हेतु इस प्रकार के लेखकों से अपनी पुस्तकों/लेखों की प्रविष्टि भेजने हेतु सम्पर्क करेगा। यदि कोई प्रकाशक/लेखक पुरस्कारों के लिए अपनी रचनाओं की प्रविष्टि नहीं करता है तो उन पर निर्णायक मंडल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

3.5 सिनेमा पर सर्वोत्तम पुस्तक के लिए पुरस्कार हेतु प्रविष्टियों के मामले में प्रविष्टि फार्म के साथ निम्नलिखित भेजा जाएगा:

- (क) पुरस्कार के लिए प्रविष्टि पुस्तक की 5 प्रतियां।
- (ख) पुस्तक के सारांश की अंग्रेजी/हिंदी में 5 प्रतियां।
- (ग) लेखक/लेखकों तथा प्रकाशक/प्रकाशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त (200 शब्दों में) (अंग्रेजी/हिन्दी में)।
- (घ) लेखक/लेखकों की उच्च रेज्यूलेशन के 5 फोटो और पुस्तक के कवरपेज की स्कैन की हुई प्रति।

3.6 सर्वोत्तम फिल्म समीक्षक के पुरस्कार हेतु प्रविष्टियों के मामले में, प्रविष्टि प्रपत्र के साथ निम्नलिखित भेजे जाएं:-

- (क) रचनाओं की कतरन जो 5 से कम तथा 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (1) समाचार पत्रों, प्रकाशनों आदि के नाम, जिनमें ये छपी हों
 - (2) प्रकाशन की तारीख/स्थान। प्रविष्टि पत्र के साथ प्रत्येक कतरन की 5-5 छायाप्रतियां अवश्य संलग्न हों।
- (ख) समीक्षक का संक्षिप्त हिंदी या अंग्रेजी में जीवन-वृत्त (अधिकतम 250 शब्दों में)।

(ग) समीक्षक के कार्य की उच्च रेज्यूलेशन 5 तस्वीरें।

3.7 5900 / - (जीएसटी सहित) रु का एक गैर वापसीयोग्य प्रवेश शुल्क ऑनलाइन प्रवेश फार्म जमा करते समय ऑनलाइन प्रति के साथ ऑनलाइन प्रेषित किया जाना चाहिए।

प्रविष्टि प्रपत्र संदर्भ हेतु

65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2017

सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

ENTRY FORM

65th NATIONAL FILM AWARDS FOR THE YEAR 2017

BEST WRITING ON CINEMA

The publisher(s) should apply on the prescribed online entry form . The form and regulations of NFA 2017 are available on the websites dff.gov.in. The last date of filling the online entry form is 2 march , 2018. The last date of receiving the hard copy of the filled online form along with the requisite materials 5 march, 2018 (NOTE : Both the versions of application form submitted by the applicants must be same).

प्रकाशक निर्धारित ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं। एनएफए 2017 के प्रविष्टि पत्र और विनियम वेबसाइट www.dff.gov.in पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 2 मार्च , 2018 है। आवश्यक सामग्री के साथ भरे गए ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तारीख 5 मार्च, 2018 है (नोट: आवेदकों द्वारा जमा आवेदन पत्र के दोनों संस्करण समान होने चाहिए) ।

1. Award for Best Book on Cinema:

1. Title of the Book (in Block letters) :

(a) In the original language :

(b) In English :

(c) English translation of the book title :

1- सिनेमा पर सर्वोत्तम पुस्तक के लिए पुरस्कार:-

1. पुस्तक का शीर्षक ;स्पष्ट अक्षरों में देरू

(क) मूल भाषा में:

(ख) अंग्रेजी में:

(ग) पुस्तक शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद:

2. Language :

2. भाषा

3. Name of the Author :

3. लेखक का नाम

4. Date of Publication :

4. प्रकाशन की तारीख

5. Number of Pages :

5 पृष्ठों की संख्या :

6. Price :

6. मूल्य:

2. Award for Best Film Critic :

2. सर्वोत्तम फ़िल्म समीक्षक के लिए पुरस्कार -

(1) Name of Writer / Critic :

(1)	लेखक/समीक्षक का नाम:			
(2)	Title of Article / review लेख/समीक्षा का शीर्षक	Language in Which Written	Name of News paper etc. in which Published	Date of Publication प्रकाशन की तारीख
(2)		किस भाषा में लिखा गया	जिस समाचार पत्र आदि में प्रकाशित हुआ, उसका नाम	

3. Whether Publication Registered with Registrar of Newspapers of India (RNI), If Yes, RNI Registration No. :

3. क्या प्रकाशन भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) से पंजीकृत है यदि हाँ तो (आरएनआई) पंजीकृत संख्या:

3. लेखक आलोचक का नाम /, पता और टेलीफोन नंबर:

4. ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का विवरण:

भुगतान तिथि

रु/ का शुल्क

रसीद संख्या संदर्भ भुगतान /

भुगतान रसीद संलग्न करें (स्कैन कॉपी करें)

5. (A) Name, address & Telephone number (Landline & Mobile), E-mail address and Fax Number (if any) of the Publisher of the book / editor(s) of the newspaper(s) along with citizenship status etc.

(B) Author / Critic : (Whether citizen of India? If not please mention the country of citizenship)

5. (क) पुस्तक के प्रकाशन/समाचार पत्र (पत्रों) के संपादक (संपादकों) का (के) नाम, पता (पते) और दूरभाष संख्या ;लैंडलाइन तथा मोबाइल, ई-मेल पता तथा फ़ैक्स न., (यदि हो) नागरिकता विवरण सहित:

(ख) लेखक/समीक्षक (क्या भारतीय नागरिक है) यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें।

6. Name, full address & Telephone number (Landline & Mobile), E-mail

address and Fax Number (if any) of the person making the entry:

6. प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति का नाम पता और टेलीफोन नं (लैंडलाइन तथा मोबाइल)आवेदकके आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्य-, ई-मेल पता तथा फैंक्स न. (यदि हो) |

7. (A) I/WE AGREE TO ABIDE BY THE DECISION OF JURY OF NATIONAL AWARD FOR THE BEST WRITING ON CINEMA AS FINAL AND BINDING.

(b) The jury shall make recommendations, which will be approved by the Ministry of Information and Broadcasting and the decision of the Ministry shall be final and binding.

(c) I/WE AGREE TO ABIDE BY THE DECISION OF MINISTRY AS FINAL AND BINDING.

(d) THE DECISION OF THE MINISTRY SHALL BE FINAL AND BINDING AND NO APPEAL OR CORRESPONDENCE REGARDING THEIR DECISION SHALL BE MADE BY ME/US

7. (क) मैं/हम सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए जूरी के निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी स्वीकार करने को तैयार हूँ।

(बीजूरी सिफारिशें करेगी (, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी जाएगी और मंत्रालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(सी हम अंतिम और / में (बाध्यकारी रूप में मंत्रालय के निर्णय से सहमत हूँ।

(डीमंत्रालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और उनके निर्णय के संबंध में कोई अपील या निवेदन (नहीं होगा ।

Date:

Signatures:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन

जांच सूची

1. प्रविष्टि प्रपत्र
2. आवेदक के आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति अनिवार्य है |
3. प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने के लिए सिनेमा) पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए 5,900 रुपये / जीएसटीसहित
4. पुस्तक की 05 प्रतियां
5. प्रत्येक कतरन की 05 प्रतियां (कम से कम 5 तथा अधिकतम 10)
6. लेखक/ प्रकाशक/ समीक्षक का प्रोफाइल ई मेल 65nfa.dff@gmail.com द्वारा।
7. लेखक/समीक्षक के फोटो/प्रकाशक का लोगो।

अनुसूची-III

प्राधिकार पत्र
65 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017
फिल्म समारोह निदेशालय

प्राधिकार पत्र हैं और संबंधित निर्माता और नैगेटिव अधिकार धारक द्वारा हस्ताक्षर किए गए)
।(डीवी कैम की प्रति बनाने के लिए तैयार किया जाना है / ब्लूरे / को डीसीपी नप्रयोगशाला
प्रेषक(पता) नाम और पता (के) का (धारकों) और निगेटिव अधिकार धारक (निर्माता प्राणियों) :
सेवा : (प्रयोगशाला का नाम और पत

हम आपको 35 मि.मि. में रंगीन या श्वेत-श्याम पोजिटिव प्रिंट/डीसीपी (अनक्रिप्टिड) और फिल्म
के श्वेत और उसे प्रभारी प्रिंट एकक, फिल्म समारोह निदेशालय (रा.फि.स. प्रकोष्ठ), सूचना और
प्रसारण मंत्रालय, सिरी फोर्ट सभागार काँम्प्लेक्स, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110049।
टेलीफैक्स 011- 26493089, को भेजने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

प्रिंट की प्रति बनाने के लिए यथावश्यक कच्चे माल की सप्लाई फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा की
जाएगी जो प्रकिया प्रभारों को सीधे प्रयोगशाला से तय करेगा।

फिल्म समारोह निदेशालय प्रिंट विभाग, नई दिल्ली को भेज दिया जाए उसकी सूचना हमें भी दी जाए।

(हस्ताक्षर)
निगेटिव अधिकार धारक)
(मोहर)

(हस्ताक्षर)
(निर्माता)
(मोहर)

प्रतिलिपि: निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, (एन.एफ.ए. सेल) प्रसारण मंत्रालय, सिरी फोर्ट
सभागार परिसर, अगस्त कांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 को प्रेषित।

यदि इस फिल्म को पुरस्कार मिलता है तो निदेशालय से अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के
अन्दर निदेशालय की लागत पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उन्हें फिल्म की एक वीडियो प्रति सप्लाई की

जाएगी। यदि ऊपर निर्धारित समयावधि के अन्दर अधोहस्ताक्षरी द्वारा वीडियो प्रति सप्लाई नहीं की जाती है तो निदेशालय को अपने खर्च पर एक वीडियो प्रति बनवाने का अधिकार होगा।

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

निगेटिव अधिकार धारक)

(निर्माता)

(मोहर)

(मोहर)

अनुसूची-IV
प्राधिकार पत्र
65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार
भारतीय फ़िल्म संग्रहालय

प्राधिकार-पत्र (निर्माता और निगेटिव अधिकार धारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं तथा संबंधित प्रयोगशाला को संबोधित किया जाना है)।

प्रेषक: (निर्माता/निर्माताओं) और निगेटिव अधिकार धारक (धारकों) का (के) नाम व पता (पते)

सेवा में: (प्रयोगशाला का नाम और पता)

विषय: (फ़िल्म का शीर्षक)

महोदय

हम आपको उपरोक्त फिल्म की 35 मि.मि. पोजिटिव रंगीन या श्वेत - श्याम प्रिंट तैयार करने तथा उसे प्रभारी परिरक्षण एवं अभिलेख हेतु राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे को भेजने का प्राधिकार देते हैं प्रिंट की काँपी करने के लिए आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा की जाएगी जो प्रक्रिया प्रभारों को सीधे प्रयोगशाला से तय करेगा।

प्रिंट राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, लॉ कालेज रोड, पुणे-4 को भेज दिया जाए और उसकी सूचना हमें भी दी जाए।

(हस्ताक्षर)
निगेटिव अधिकार धारक)
(मोहर)

(हस्ताक्षर)
(निर्माता)
(मोहर)

टिप्पणी 1: किसी अन्य साधारण प्रपत्र जैसे डी वी डी/ वी सी डी पर फ़िल्म के जारी होने से

इसकी एक प्रति राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार, पुणे को शैक्षिक एवं गैर वाणिज्यिक अभिलेख हेतु भेजी जाएगी।

टिप्पण 2: कॉपी अधिकार धारक/निगेटिव अधिकार धारक के लिए यह बाध्य होगा कि वे राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार, पुणे को कॉपी अधिकार इत्यादि के स्थानांतरण के बारे में सूचित करें। यह भी ध्यान रहे कि प्राप्तियां या निगेटिव अधिकार धारक से संबंधित कार्य की सहमति राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय से ली जाएगी।

Schedule-V

अनुसूची-V

[AsperClause15(b)]

(Tobefilledinonlybythejury members/chairpersons)

(उप-नियम 15 (ख) के अनुसार) (केवल जूरी सदस्यों/अध्यक्षों द्वारा भरा जाए)

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि -

- (1) मैंने फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई 65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों (फीचर फ़िल्म व गैर-फीचर फ़िल्म/सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन वर्ग) की प्रविष्टियों की सम्पूर्ण सूची देख ली है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इन प्रविष्टियों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित नहीं हूं और न ही इनके साथ मेरा कोई वित्तीय हित जुड़ा हुआ है।
2. मैं अपनी सहमति देता हूं कि यदि मेरी स्वयं की किसी फ़िल्म की प्रविष्टि होती है तो मैं जूरी की सदस्यता के अयोग्य हूंगा।
3. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि यदि मेरे निकट/रक्त संबंधी (जैसे-पुत्र, पुत्री, मामा/मामी, चाचा/चाची, प्रथम रिश्तेदार, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, दादा, दादी, माता-पिता, भाई, बहन) या विवाह होने से किसी विशिष्ट फ़िल्म से संबंधित होता हूं (चाहे व्यक्तिगत हो या वित्तीय), तो मैं इसके विषय में जूरी स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले लिखित में घोषणा कर दूंगा और स्वयं उस फ़िल्म के पूर्वावलोकन से अलग रहूंगा। मैं यह भी सहमति देता हूं कि यदि इस फ़िल्म पर पुरस्कार के लिए वोट होता है तो मेरा वोट न गिना जाए।
4. मैंने 65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों से संबंधित विनियमों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूंगा।
5. मैं जूरी की चर्चा को गोपनीय रखूंगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि मुझसे गोपनीयता बनाए रखने का उल्लंघन होता है तो मुझे जीवन भर के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, भारतीय पैनोरमा और भारत में अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में जूरी सदस्य बनाने हेतु प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली

दिनांक :

हस्ताक्षर _____

नाम व पता: _____

दूरभाष : _____

मोबाइल : _____

ई-मेल: _____
